अब्दुल कादर

बनाम

जी.डी. गोविंदराज (डी) जरिये विधिक वारिसान।

अप्रैल 24, 2002

[आर. सी. लाहोटी और बी. एन. अग्रवाल, न्यायाधिपतिगण] तमिलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1960

धारा 10 (2) (1), स्पष्टीकरण -िकराए के बकाया में किरायेदार -किरायेदार का निष्कासन, मासिक किराए के अलावा किरायेदार को भ्गतान करना है, वार्षिक संपत्ति कर का आधा भुगतान, किरायेदार तीन महीने के किराए के साथ-साथ तीन साल के लिए संपत्ति कर की राशि का भी भ्गतान करने में विफल रहा - नोटिस की प्राप्ति पर किरायेदार ने केवल मासिक किराया दिया और संपत्ति कर नहीं - मकान मालिक ने इसे अपर्याप्त होने के कारण स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दो महीने की वैधानिक अवधि के बाद म्कदमा दायर किया - अभिनिर्धारित -किरायेदार द्वारा मकान मालिक को भ्गतान किए जाने वाले करों की राशि किराए का एक हिस्सा था और धारा 10 (2) (i) में शब्द 'किराया' तदन्सार लगाया जाना चाहिए - धारा 10 की उप-धारा (2) में संलग्न स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि भ्गतान या निविदा में जानबूझकर की गई चूक दो महीने के बाद भी जारी रहती है तो किराए का भुगतान करने या निविदा देने में चूक को जानबूझकर माना जाएगा - बकाया चुकाने के लिए मकान मालिक द्वारा दो महीनों का नोटिस - किराएदार को किराए के भुगतान में जानबूझकर चूक करने का दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय के दिष्टिकोण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और इसलिए धारा 10 (2) (i) के तहत बेदखल किया जा सकता है।

एस. सुंदरम बनाम वी. आर. पट्टाभिरमन, ए. आई. आर. (1985) एस. सी. 582 पर विश्वास व्यक्त किया - धारा 10 (2) (i) - 'किराया' अभिनिर्धारित किया, मकान मालिक को किरायेदार द्वारा कर की रकम का भुगतान किया जाना किराए का एक हिस्सा था और धारा 10 (2) (i) में 'किराया' शब्द तदनुसार समझा जाए।

करनी प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम मिस ऑगस्टीन और अन्य, एआईआर (1957) एससी 309, पर विश्वास व्यकत किया।

मैसर्स रावल और कंपनी बनाम के. जी. रामचंद्रन (माइनर) और अन्य, (1968) 2 एमएलजे 50, को संदर्भित किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - अपील नंबर 644 - 645 / 2001 सीआरपी. संख्या 970 और 971/ 1995 मे चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 31.1.2000 के विरूद्व। अपीलार्थी के लिए वी. रामसुब्रमण्यन।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

विशेष अनुमित के द्वारा ये अपीले किरायेदार की हैं, जिनके विरूद्व मुकदमा परिसर से बेदखल करने का आदेश तिमलनाडु भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (i) के तहत (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम'), मे उपलब्ध आधार पर पारित किया गया है।

प्रासंगिक तथ्य विवादित नहीं हैं। परिसर किरायेदार द्वारा दिनांक 1.1.1988 पट्टे के लिखित अनुबंध के तहत धारित किये गये हैं, जिसके तहत परिसर के किराए के लिये रूपये 100/- प्रतिमाह पर सहमति व्यक्त की गई है। उससे अधिक पर, किराए की राशि, किरायेदार ने मकान मालिक को संपत्ति के संबंध में देय वार्षिक संपत्ति कर के आधे के बराबर रूपये 111/- की राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। किरायेदार ने जनवरी, फरवरी और मार्च, 1990 के महीनों के लिए देय किराए का भुगतान नहीं किया है। किरायेदार ने संपत्ति कर की दर रूपये 111/- के हिसाब से वर्ष 1987, 1988-1989 और 1989-1990 में अदा की जाने वाली राशि का भुगतान भी नहीं किया। यहां यह कहा जा सकता है कि दिनांक 1.1.1989 से पहले

भी, किरायेदार पट्टे के पिछले विलेख के तहत परिसर को धारण कर रहा था, केवल अंतर यह था कि पहले किराए की दर रूपये 60 प्रति माह थी, हालांकि, जहां तक संपति कर की राशि का भुगतान करने की शर्त का संबंध है, यह वही था और पट्टे का नवीनीकरण अपरिवर्तित रहा रहा। विलेख के नवीनीकरण होने पर, मूल रूप से दिनांक 1.1.1989 के विलेख के तहत परिवर्तन केवल मासिक किराए की दर में लाया गया था।

दिनांक 26.3.1990 को, मकान मालिक ने किरायेदार को जनवरी से मार्च, 1990 के महीनों के लिए किराये की राशि और कर की अदा की जाने वाली राशि की भी मांग करते हुए एक नोटिस दिया, जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है। दिनांक 2.4.1990 को, किरायेदार ने मकान मालिक को रूपये 300 /- की राशि अदा की, लेकिन कर की राशि अदा नहीं की। अदा की गई राशि को मकान मालिक द्वारा इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया गया कि वह कम थी, और इसलिए, एक वैध अदायगी नहीं थी। दो महीने की अविध के लिए प्रतीक्षा करने पर यानि कि नोटिस की अविध, मकान मालिक ने निष्कासन के लिए कार्यवाही शुरू की।

विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न होता है वह है: क्या कहा जा सकता है कि किरायेदार ने जानबूझकर चूक की है ताकि अधिनियम

की धारा 10 (2) (I) की प्रयोज्यता प्रयोज्यता को आकर्षित किया जा सके।

अधिनियम में 'किराया' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए, हमें सामान्य शब्दकोश के अन्सार जाना होगा जिसका अर्थ है 'किराया'। जैसा कि करणी प्रॉपर्टीज लिमिटेड. बनाम मिस ऑगस्टीन एवं अन्य, ए. आई. आर. (1957) एस. सी. 309 में अवधारित किया कि 'किराया' शब्द इतना व्यापक है कि जिसमें किरायेदार द्वारा अपने मकान मालिक को न केवल इमारत और उसके उपकरणों के उपयोग और व्यवसाय के लिए भ्गतान किए जाने वाले सभी भ्गतान, बल्कि साज-सज्जा, बिजली की स्थापना और अन्य स्विधाओं के लिए पक्षकारो के बीच सहमति व्यक्त की गई थी जो मकान मालिक द्वारा और उसकी कीमत पर प्रदान की जानी थी, भी शामिल है। जिसे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया था कि करणी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद से, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लगातार यह विचार लिया जा रहा है कि किरायेदार द्वारा करों का भ्गतान करने के लिए सहमति होने की स्थिति में, वही किराये का हिस्सा बनता है। (इसके संदर्भ में, देखे मैसर्स रावल एंड कंपनी बनाम के जी रामचंद्रम (माइनर) व अन्य) (1968) एमएलजे 50 । इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किरायेदार द्वारा

मकान मालिक को भुगतान करने के लिए सहमत की गई करों की राशि किराए का एक हिस्सा थी और अधिनियम की धारा 10 (2) (i) में 'किराया' शब्द का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाना चाहिए।

मकान मालिक द्वारा दायर किए गए म्कदमे से पहले मकान मालिक द्वारा किरायेदार को दो महीने का नोटिस देते ह्ये जिसमें किराए के भुगतान के साथ कर की बकाया राशि भी सम्मिलित होने की मांग की गई। दो महीने की वांछित अवधि के दौरान मांग की पूर्ति की प्रतीक्षा के बाद दावा दायर किया गया था। धारा 10 की उप-धारा (2) के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि किरायेदार किराया अदा करने में चूक करता है या मकान मालिक द्वारा किराये की बकाया राशि अदा करने बाबत दो महीने का नोटिस जारी किये जाने के बाद भी भ्गतान करने में चूक जारी रहती है तो यह किरायेदार द्वारा किराया देने में चूक को जानबूझकर माना जाएगा। एस. स्ंदरम बनाम वी. आर. पटटाभिरमन ए. आई. आर. (1985) एस. सी. 582 के मामले में यह स्पष्टीकरण इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लाया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि नोटिस के बावजूद भी बकाया किरायेदारी अदा नहीं की जाती तो किरायेदार द्वारा किराया अदा करने में चूक को जानबूझकर माना जाएगाऔर वह तुरंत प्रभाव से बेदखल किये जाने के लिये उत्तरदायी होगा । आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां मकान मालिक दो महीने का नोटिस जारी करने का विकल्प चुनता है और किराए का भुगतान नहीं किया जाता है, वह चूक के जानबूझकर होने का निर्णायक प्रमाण होगा जब तक कि किरायेदार अपिरहार्य पिरिस्थितियों से किराए का भुगतान करने में अपनी असमर्थता साबित नहीं करता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, यह किरायेदार का मामला नहीं है कि ऐसी कोई अपिरहार्य पिरिस्थितियां थीं जिन्होंने उसे किराए का भुगतान करने में असमर्थ बना दिया था।

पूर्वगामी कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा किरायेदार को किराए के भुगतान में जानबूझकर चूक करने का दोषी ठहराते हुए लिए गए दिष्टकोण में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है और इसलिए, अधिनियम की धारा 10 (2) (1) के तहत किरायेदार बेदखल होने के लिए उत्तरदायी है।

अपील को किसी भी गुणावगुणों से रहित माना जाता है और खारिज किये जाने योग्य है। तदनुसार, यह खारिज की जाती है। मकान मालिक - प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुआ है, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील खारिज की गई।